

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

कमांक/अध्या.संवर्ग/डी/संवि./169/2008/1007

भोमाल,दिनांक: 4/8/08

आदेश

म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ-1/49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 08.11.05 एवं 21.12.05 के अनुक्रम में महिला तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार तालिका क्रमांक-1 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका क्रमांक-2 तथा तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर उल्लेखित समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय में संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क.	अध्यापक का नाम (अध्यापक/सहायक अध्यापक) एवं कार्यरत शाला का नाम	कार्यरत निकाय का नाम एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक
	1	2	3
1	श्रीमती शैल ध्रुव मोरसिया अध्यापक, शा.मा.शा.निम्नागॉव जिला सीहोर	जनपद पंचायत नसरुल्लागंज जिला सीहोर जा.क्र. 1771 दि. 16.07.08	जनपद पंचायत सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद जा.क्र. 977 दि. 18.07.08 1. शा.मा.शा.सोताचिकली
2	श्रीमती शबाना, सहायक अध्यापक, शा.प्रा.शा.कानखेडा जागीर जिला भोपाल	जनपद पंचायत बैरसिया जा. क्र. 4028 दि. 14.07.08	जनपद पंचायत कन्नौद जिला देवास जा.क्र. 1364 दि. 14.07.08 1. प्रा.वि.बाकया
3	श्रीमती कीर्ति सक्सेना, अध्यापक, शा.मा.वि.हरचिन्देल देवसर जिला सिंगरौली (सीधी)	जिला पंचायत सीधी जा.क्र. 8034 दि. 17.07.08	जिला पंचायत जबलपुर जिला जबलपुर जा.क्र. 2283 दि. 18.07.08 1. शा.हाईस्कूल सुकरी
4	श्रीमती रचना ताम्रकार, अध्यापक, शा.मा.शा.पिपल्या कलौ रायसेन	जनपद पंचायत सिलवानी जिला रायसेन जा.क्र. 666 दि. 16.07.08	जनपद पंचायत घाटीगॉव जिला ग्वालियर (करई) जा.क्र. 1416 दि. 18.07.08 1. शा.मा.वि.शंकरपुर
5	कुमारी खातून बी, सहायक अध्यापक, शा.प्रा.शा.रांकई जिला नरसिंहपुर	जनपद पंचायत करेली जिला नरसिंहपुर जा.क्र. 970 दि. 14.07.08	जनपद पंचायत पनागर जिला जबलपुर जा.क्र. 1316 दि. 18.07.08 1. शा.नवीन हाईस्कूल सुहागी जबलपुर
6	श्रीमती अनिता महाजन, अध्यापक शा.मा.वि.हलदड़ जिला बड़वानी	जनपद पंचायत राजपुर जिला बड़वानी जा.क्र. 2985 दि. 18.07.08	जनपद पंचायत इन्दौर जिला इन्दौर जा.क्र. 1348 दि. 18.07.08 1. शा.मा.वि.कम्पेल

10/08/08


	1	2	3
7	श्रीमती रेखा कुशवाहा, अध्यापक, शा.मा.वि.पौडी वस्तुआ जिला सीधी	जिला पंचायत सीधी जा.क. 8077 दि. 17.07.08	जिला पंचायत रीवा जिला रीवा जा.क. 131 दि. 18.07.08 1. शा.मा.वि.भोलगढ़
8	श्रीमती शकुन्तला सिंह, सहायक अध्यापक, शा.कन्या हाईस्कूल कुसमी जिला सीधी	जनपद पंचायत कुसमी जिला सीधी जा.क. 1040 दि. 14.07.08	जनपद पंचायत हनुमना जिला रीवा जा.क. 1048 दि. 18.07.08 1. शा.मा.शा.विज्ञौली
9	श्रीमती जयमाला त्रिपाठी, अध्यापक, शा.उ.मा.वि.उमरानाला जिला छिंदवाड़ा	जिला पंचायत छिन्दवाड़ा जा.क. 1320 दि. 11.07.08	जिला पंचायत जबलपुर जिला जबलपुर जा.क. 6919 दि. 16.07.08 1. शा.हाईस्कूल महाराजपुर
10	श्रीमती अर्चना सिंह, अध्यापक, शा. कन्या मा.वि.अगहार जिला सीधी	जिला पंचायत सीधी जा.क. 7939 दि.06.07.08	जिला पंचायत रीवा जिला रीवा जा.क. 1138 दि.18.07.08 1. शा.मा.वि.हरिहरपुर
11.	श्रीमती निरूपमा सिंह, अध्यापक शा.हाईस्कूल बेटहाडॉड जिला सिंगरौली (सीधी)	जिला पंचायत सीधी जा.क. 8032 दि. 17.07.08	जिला पंचायत रीवा. जिला रीवा जा.क. 130 दि. 18.07.08 1. शा.मा.शा.हर्दी

संविलियन की शर्तें :-

1. यह अनुमति तालिका क्रमांक-3 में उल्लिखित निकाय में संविलियन के लिए मान्य होगी ।
2. तालिका-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका क्रमांक-3 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक,सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका क्रमांक-3 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात् ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
4. तालिका क्रमांक-3 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात् ही तालिका क्रमांक-2 में अंकित निकाय द्वारा तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक,सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाये । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व अध्यापक, सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक,सहायक अध्यापक की वरिष्ठता क्रमांक-3 में वर्णित (संविलियन) निकाय के अध्यापक, सहायक अध्यापक की वरिष्ठता कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. अध्यापक के संविलियन के प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।

8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जॉच्च/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका क्रमांक 2 एवं 3 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र/जावक क्रमांक/दिनांक की पुष्टि संबंधित निकायों द्वारा सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"


  
04/08/08

उप संचालक,

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृष्ठा.क्र./अध्या.संवर्ग/डी/संवि./169/2008/1008 भोपाल,दिनांक: 4/8/08  
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव,मान.मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग म.प्र.भोपाल ।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
5. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत.....मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा से कराने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी..... एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । उक्त शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा आदेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों तथा निकायों को उपलब्ध करायें । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि आपके स्तर से सुनिश्चित कराने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।
8. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ ।
9. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित संबंधित अध्यापक/सहायक अध्यापक की ओर सूचनार्थ ।

  
04/08/08

उप संचालक,

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

कमांक/अध्या.संवर्ग/डी/संवि./164/2008/1009

भोपाल,दिनांक: 4/8/18

आदेश

म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ-1/49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 08.11.05 एवं 21.12.05 के अनुक्रम में महिला तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार तालिका क्रमांक-1 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका क्रमांक-2 तथा तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर उल्लेखित समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय में संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क.	अध्यापक का नाम (अध्यापक/सहायक अध्यापक) एवं कार्यरत शाला का नाम	कार्यरत निकाय का नाम एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक
	1	2	3
1	श्रीमती गुन्जन सिंह चौहान, अध्यापक, शा.प्रा.शा.रजडीहा जिला सीधी	जिला पंचायत सीधी जिला सीधी जा.क्र. 7584 दि. 05.07.08	जिला पंचायत इन्दौर जिला इन्दौर जा.क्र. 5713 दि. 15.07.08 1.शा.हाईस्कूल हासपुर
2	श्रीमती अर्चना मिश्रा, सहायक अध्यापक, शा.मा.वि.पडखुरी पवाई जिला सीधी	जनपद पंचायत रामपुर नैकिन जिला सीधी जा.क्र. 940 दि. 13.06.08	नगर पालिका अधिकारी मऊगज जिला रीवा जा.क्र. 112 दि. 11.06.08 1. शा.प्रा.शा.दुवगवाँ दुबान
3	श्रीमती शबीना खॉन, अध्यापक, शा.उ.मा.वि.तिलखन जिला रीवा	जिला पंचायत रीवा जिला रीवा जा.क्र. 439 दि. 02.05.08	नगर पालिका परिषद नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर जा.क्र. 989 दि. 18.06.08 1. शा.म.ल.बा.कन्याउ.मा.वि. नरसिंहपुर
4	श्रीमती राजकिशोरी तिकी, अध्यापक, शा.मा.वि.खुटलाकलौं जिला खण्डवा	जिला पंचायत पूर्व निमाड़ खण्डवा जिला खण्डवा जा.क्र. 7461 दि. 31.10.07	जिला पंचायत ग्वालियर जिला ग्वालियर जा.क्र. 7310 दि. 11.06.08 1.शा.हाईस्कूल कछौआ (भितरवार) जिला ग्वालियर
5	श्रीमती अरुणेश सिंह, अध्यापक, शा.उ.मा.वि.मपही जिला सीधी	जिला पंचायत सीधी जिला सीधी जा.क्र. 7855 दि. 14.07.08	नगर पालिका निगम रीवा जिला रीवा जा.क्र. 3213 दि. 10.07.08 1. उन्न.शा.बा.मा.वि.अनन्तपुर
6.	श्रीमती सावित्री रैतवार, सहायक अध्यापक, शा.पूर्व मा.वि.मडीकलौं जिला रीवा	जनपद पंचायत गंगेव जिला रीवा जा.क्र. 1948 दि. 17.06.08	जनपद पंचायत कटनी जिला कटनी जा.क्र. 435 दि. 23.06.08 1.शा.प्रा.शा.छहरी कटनी 2. शा.प्रा.शा.पिपरिया

7	श्रीमती मीना वर्मा, सहायक अध्यापक, शा.कन्या प्रा.शा.खड़ी (हाट) जिला सीहोर	जनपद पंचायत आष्टा जिला सीहोर जा.क. 1278 दि. 27.06.08	जनपद पंचायत, फन्दा जिला भोपाल जा.क. 3063 दि. 30.06.08 1. शा.प्रा.शा.रातीबड़
8	श्रीमती विभा सक्सेना, अध्यापक, शा.मा.शा.भीलखेड़ा जिला राजगढ़	जिला पंचायत राजगढ़ जिला राजगढ़ जा.क. 478 दि. 17.07.08	जिला पंचायत शाजापुर जिला शाजापुर जा.क. 3870 दि. 14.07.08 1. शा.मा.वि.मायापुर 2. शा.मा.वि.राघवगंज 3. शा.मा.वि.जेठडा
9	श्रीमती मधुमिता दुबे, सहायक अध्यापक, नवीन प्रा.शा.जनतानगर जिला सिवनी	जनपद पंचायत सिवनी जिला सिवनी जा.क. 122 दि. 25.04.08	जनपद पंचायत छतरपुर जिला छतरपुर जा.क. 1236 दि. 16.07.08 1. शा.प्रा.शा.रमनपुरा(ढंडारी) 2. शा.क.प्रा.शा.पनौठा
10	श्रीमती किरण पाण्डेय, अध्यापक, शा.पूर्व मा.वि.सेमरी जिला सीधी	जिला पंचायत सीधी जिला सीधी जा.क. 7890 दि. 15.07.08	नगर पंचायत मऊगंज जिला रीवा जा.क. 647 दि. 14.07.08 1. शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि.मऊगंज 2. शा.हाईस्कूल दुगवाँ 3. शा.कन्या उ.मा.वि.मऊगंज

**संविलियन की शर्तें :-**

1. यह अनुमति तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिए मान्य होगी ।
2. तालिका-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका क्रमांक-3 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका क्रमांक-3 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात् ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
4. तालिका क्रमांक-3 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात् ही तालिका क्रमांक-2 में अंकित निकाय द्वारा तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाये । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व अध्यापक, सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक की वरिष्ठता क्रमांक-3 में वर्णित (संविलियन) निकाय के अध्यापक, सहायक अध्यापक की वरिष्ठता कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. अध्यापक के संविलियन के प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।

9. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक/के विरुद्ध कोई विभागीय जॉच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्यापक की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका क्रमांक 2 एवं 3 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र/जावक क्रमांक/दिनांक की पुष्टि संबंधित निकायों द्वारा सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।

“आयुक्त द्वारा अनुमोदित”



उप संचालक,


लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक: 4/8/18

पृष्ठा.क्र./अध्या.संवर्ग/डी/संवि./164/2008/10/0

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मान.मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग म.प्र.भोपाल ।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
5. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत.....मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा से कराने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी .....एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । उक्त शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा आदेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों तथा निकायों को उपलब्ध करायें । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि आपके स्तर से सुनिश्चित कराने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।
8. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ ।
9. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित संबंधित अध्यापक/सहायक अध्यापक की ओर सूचनार्थ ।



उप संचालक,

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्रमांक/अध्या.संवर्ग/डी/संवि./165/2008/1011

भोपाल,दिनांक: 4/8/08

आदेश

म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ-1/49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 08.11.05 एवं 21.12.05 के अनुक्रम में महिला तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार तालिका क्रमांक-1 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका क्रमांक-2 तथा तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर उल्लेखित समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय में संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क.	अध्यापक का नाम (अध्यापक/सहायक अध्यापक) एवं कार्यरत शाला का नाम	कार्यरत निकाय का नाम एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक
	1	2	3
1	श्रीमती रंजना सिंह, अध्यापक, शा. पूर्व मा.वि.लेहेचुआ जिला सीधी	जिला पंचायत सीधी जिला सीधी जा.क्र. 7875 दि. 14.07.08	नगर पालिका निगम रीवा जिला रीवा जा.क्र. 3189 दि. 08.07.08 1.शा.कन्या उ.मा.वि.पाण्डेन टोला रीवा जिला रीवा
2	श्रीमती. रिजयाना मन्सूरी, सहायक अध्यापक, शा.प्रा.कन्या शाला शिकारा जिला सिवनी	जनपद पंचायत घंसौर जिला सिवनी जा.क्र. 986 दि. 04.06.08	जनपद पंचायत पनागर जिला जबलपुर जा.क्र. 1201 दि. 02.07.08 1.शा.प्रा.शा.झिरमिरी 2. शा.मा.शा.बम्हनोदा
3	श्रीमती सरिता ठाकुर, सहायक अध्यापक, शा.हाईस्कूल पनिया जिला राजगढ़	जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ जा.क्र. 3108 दि. 10.07.08	जनपद पंचायत इन्दौर जिला इन्दौर जा.क्र. 1964 दि. 15.07.08 1. शा.प्रा.वि.राऊ
4	श्रीमती रशीदा बानो, सहायक अध्यापक, शा.पूर्व मा.वि.फरहदा जिला अनूपपुर	जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर जा.क्र. 494 दि. 26.06.08	नगर पालिका निगम रीवा जिला रीवा जा.क्र. 3200 दि. 08.07.08 1. शा.पूर्व मा.वि.शिवपूर्वा
5	श्रीमती लक्ष्मी बावरिया, सहायक अध्यापक, शा.प्रा.शा.टीलाखेड़ी जिला विदिशा	जनपद पंचायत, विदिशा जिला विदिशा जा.क्र. 1503 दि. 10.06.08	जनपद पंचायत फन्दा जिला भोपाल जा.क्र. 4006 दि. 02.07.08 1. शा.प्रा.शा.दुपाड़िया
6	श्रीमती प्रभा तिवारी, अध्यापक, शा. उ.मा.वि.सज्जनपुर जिला सतना	जिला पंचायत सतना जिला सतना जा.क्र. 1476 दि. 16.07.08	नगर पालिका निगम रीवा जिला रीवा जा.क्र. 3257 दि. 15.07.08 1. उन्नत मा.वि.अनन्तपुर
7	श्रीमती बृजेश भसनेरिया, अध्यापक, शा.मा.वि.जटामणी जिला राजगढ़	जनपद पंचायत खिलचीपुर जिला राजगढ़ जा.क्र. 2003 दि. 16.07.08	नगर पालिका शुजालपुर जिला शाजापुर जा.क्र. 322 दि. 09.07.08 1.शा.कन्या उ.मा.वि.शुजालपुर नगर

संविलियन की शर्त :-

1. यह अनुमति तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिए मान्य होगी ।
2. तालिका-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका क्रमांक-3 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक,सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका क्रमांक-3 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात् ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
4. तालिका क्रमांक-3 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात् ही तालिका क्रमांक-2 में अंकित निकाय द्वारा तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक,सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाये । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व अध्यापक, सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक,सहायक अध्यापक की वरिष्ठता क्रमांक-3 में वर्णित (संविलियन) निकाय के अध्यापक, सहायक अध्यापक की वरिष्ठता कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. अध्यापक के संविलियन के प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जॉच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका क्रमांक 2 एवं 3 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र/जावक क्रमांक/दिनांक की पुष्टि संबंधित निकायों द्वारा सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

*M*  
04/11/08

उप संचालक,  
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश


पृष्ठा.क./अध्या.संवर्ग/डी/संवि./165/2008/ 10/12 भोपाल,दिनांक: 4/12/08

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव,मान.मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग म.प्र.भोपाल ।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
5. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की

*M*

- पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत.....मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा से कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
  7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी..... एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । उक्त शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा आदेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों तथा निकायों को उपलब्ध करायें । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि आपके स्तर से सुनिश्चित कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
  8. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ ।
  9. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित संबंधित अध्यापक/सहायक अध्यापक की ओर सूचनार्थ ।

  
उप संचालक,  
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश